



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273307  
CG-DL-E-10062026-273307

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2815]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2815]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2909(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4596(E) तारीख 08/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा जिले में NH-353C के कि.मी.92.000 से कि.मी.108.556 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, ( चौड़ीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि ), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचनाका सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25.10.2025" को "वेलुगु" (तेलुगु) और द हिन्दू (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा जिले में NH-353C के कि.मी.92.000 से कि.मी.108.556 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: हनमकोंडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: (परकाल )					
गांव का नाम: परकाल					
1	200	निजी (हाउस)	गैर कृषि भूमि	0.001226	करें सदानन्दम , नागेश , बॉमिडी श्रीनिवास रेड्डी सॉन ऑफ़ कमरा रेड्डी
2	२०६	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	0.0082	किशोर , इडेला रघु , कोक्किराला राकेश , कोठापल्ली रविंदर
3	२०७	निजी (मकान)	गैर कृषि भूमि	0.010375	कोलपाक वेंकटेश , गोलुसुला संबाइअह , कंचनकाउंटला सुहासिनी , चीटिकसी शोभा , इडेला रघु , ऑटो मोबाइल राजू , योगेश्वर स्वयं , मदिकोंडा सदानन्दम , रंगु पूर्ण चन्दर, पालनटि साम्बायया
4	२१६	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	0.0005	विनिशेट्टी जयशंका, दग्गु तिरुपति रओ
5	८८६	निजी (पट्टा)	कृषि (आर्द्र)	0.001389	सीहेच् मल्लारेड्डी

तालुक का नाम: (शयमपेट )					
गांव का नाम: सिंगारम (कोथागत्तु )					
6	८६	सरकारी (एसाइन्ड)	कृषि भूमि (सूखा)	0.042999	नेल्ला मल्लायया
7	८६	सरकारी (एसाइन्ड)	कृषि भूमि (सूखा)	0.058176	पेम्बार्थी राजू
<b>Total</b>				<b>0.122865</b>	

[फा. सं. DB/D1/EE/R&amp;B//NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3A1/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

**S.O. 2909(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4596(E) Dated:08/10/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ two lane with paved shoulder/ four laning. etc., ), **maintenance, management and operation of NH-353C in the stretch of land from Km.92.000 to Km. 108.556 in the district of Hanamkonda in the state of TELANGANA.**

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Hindu** (English)” and “**Velugu** (Telugu)” Daily News Papers, both dated **25.10.2025**, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-353C in the stretch of land from Km. 92.000 to Km.108.556 in the district of Hanamkonda in the state of TELANGANA.**

State: TELANGANA			District: Hanamkonda		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Parkal</b>					
<b>Village: Parkal</b>					
1	200	Private (houses)	Non Agriculture	0.001226	Karre Sadanandam, Nagesh, Bommidi

					Srinivas Reddy son of kmura reddy
2	206	Private (patta)	Agriculture (Wet)	0.0082	Kishor, Edla Raghu, Kokkerala Rakesh , Kothapalli Ravinder
3	207	Private (houses)	Non Agriculture	0.010375	Kollpaka Venkatesh, Golusula Sambaiah, Kanchanakauntla Suhasini, chitikesi shobha, Edla Raghu, Auto Mobile Raju, Yogeshwara Swamy, Madikonda Sadanandham, Rangu Purna chander and Palnati Sambaiah
4	216	Private (patta)	Agriculture (Wet)	0.0005	Vinishetty Jayashanka and Daggi Thirupathi Rao
5	886	Private (patta)	Agriculture (Wet)	0.001389	Ch Mallareddy
<b>Taluk: Shayampet</b>					
<b>Village: Singaram (Kothagattu)</b>					
6	86	Government (Assigned)	Agriculture (dry)	0.042999	Nella Maiiaiah
7	86	Government (Assigned)	Agriculture (dry)	0.058176	Pembarthi Raju
<b>Total</b>				<b>0.122865</b>	

[F. No. DB/D1/EE/R&amp;B//NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3A1/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director